राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

	विप्रार्थीगण
1. ...बूराम पुत्र ठाकराराम 2. किशनाराम पुत्र ठाकराराम 3. जमना पुत्री ठाकराराम पत्नी नगाराम जाति विश्नोई निवासी चैननगर, सेसावा तहसील चितलवाना जिला जालोर।	1. ठाकराराम पुत्र भूराराम जाति विश्नोई निवासी चैननगर, सेसावा तहसील सांचौर जिला जालोर 2. धर्माराम पुत्र नारणाराम जाति सुथार निवासी सेसावा तहसील चितलवाना जिला जालोर हान निवासी सिम्स हॉस्पीटल सांचौर जिला जालोरं 3. तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न....51.../2025

06/03/25 प्रार्थीगण बाबुराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी सेसावा तहसील सांचौर जिला जालोर वगैरा की ओर से अधिवक्ता **श्री वीरमाराम** वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा कोटतिलानी पटवार क्षेत्र भैरूड़ी भू.अ.नि. बामड़ला के खाता संख्या नया 23 के खसरा संख्या 73 रकबा 5–3095 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा कोटतिलानी पटवार क्षेत्र भैरूड़ी भू.अ.नि. बामड़ला के खाता संख्या नया 23 के खसरा संख्या 73 रकबा 5–3095 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थीगण इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख ...15/04/25... को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

15/04/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन प्रार्थी वकील ने Registered पेश किए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु पत्रावली [illegible] 25 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.08.01 19:40:26 IST
Reason: SelfAttested